"बिजनेस पोस्ट के अन्तर्गत डाक शुल्क के नगद भुगतान (बिना डाक टिकट) के प्रेषण हेतु अनुमत. क्रमांक जी.2-22-छत्तीसगढ़ गजट / 38 सि. से. भिलाई, दिनांक 30-05-2001."

पंजीयन क्रमांक
"छत्तीसगढ़/दुर्ग/09/2013-2015."

छत्तीसगढ़ राजपत्र

(असाधारण)

प्राधिकार से प्रकाशित

क्रमांक 33] रायपुर, मंगलवार, दिनांक 30 जनवरी 2018 —— माघ 10, शक 1939

सामान्य प्रशासन विभाग
मंत्रालय, महानदी भवन, नया रायपुर

नया रायपुर, दिनांक 30 जनवरी 2018

अधिसूचना

क्रमांक एफ 7-9/2008/1-7. —— राज्य सरकार, एतद्द्वारा, लोकनायक जयप्रकाश नारायण (मीसा/डी. आई. आर. राजनैतिक या सामाजिक कारणों से निरूद्ध व्यक्ति) सम्मान निधि नियम, 2008 में निम्नलिखित और संशोधन करती है, अर्थात् :-

संशोधन

उक्त नियमों में,-

नियम 15 में, अंक एवं शब्द "31 मार्च, 2017" के स्थान पर, अंक एवं शब्द "31 दिसम्बर, 2018" प्रतिस्थापित किया जाये.

उपरोक्त संशोधन, इस अधिसूचना के राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से लागू होगा.

छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
रीता शांडिल्य, विशेष सचिव.

संचालक, मुद्रण तथा लेखन सामग्री, छत्तीसगढ़ द्वारा शासकीय मुद्रणालय, रायपुर से मुद्रित तथा प्रकाशित - 2018.